

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 18456-66 / एम.सी/अराज/5/2022

भोपाल, दिनांक 5/05/2022

// आदेश //

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 1748/स्था/अराज/2020 दिनांक 16.12.2020 के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबंधित चिकित्सालयों में रिक्त गैर शैक्षणिक पदों की अनुमोदित अनुसूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरने हेतु संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 572/स्था/अराज/2021 दिनांक 15.06.2021 एवं आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5284/विकास/2/2021 दिनांक 24.06.2021, कार्यालयीन भर्ती सूचना क्रमांक 16143/एमसी/अराज-5/दिनांक 07.05.2021 एवं पत्र क्रमांक 15187-89/एमसी/अराज-5/2021 दिनांक 29.05.2021 तथा पत्र क्रमांक 3295-97/एमसी/अराज/5/2021 दिनांक 18.06.2021 के तहत रिक्त पद गैर शैक्षणिक के सीधी भर्ती हेतु एमपीऑनलाइन द्वारा उपरोक्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु परीक्षा आयोजित कर परिणाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को भेजा गया था, जिसके आधार पर मेरिट प्रतीक्षारत सूची चयनित उम्मीदवार को विज्ञापन शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

पदनाम-रिकार्ड क्लर्क संवर्ग-अनुसूचित जन जाति चयनित उम्मीदवार			
S.N.	NAME	FATHER	ADDRESS
1	ARUN KUMAR YASHWAL	SURESH CHANDRA	GWALIOR
पदनाम-रिकार्ड क्लर्क संवर्ग-अन्य पिछड़ा वर्ग चयनित उम्मीदवार			
1	CHANDRA SHEKHAR PATEL	LEKHRAM PATEL	NARSINGPUR
पदनाम-रिकार्ड क्लर्क संवर्ग-अनारक्षित चयनित उम्मीदवार			
1	DURGESH BABELE	PURSHOTTAM NARAYAN BABELE	BHOPAL
पदनाम-डाक्यूमेन्टलिस्ट संवर्ग-अनारक्षित चयनित उम्मीदवार			
1	HARINARAYAN MISHRA	RAMESHWAR PRASAD	BHOPAL

नियुक्ति की शर्त:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (गैर शैक्षणिक संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी।
- चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जाती है।
- तीन माह पश्चात गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 (1)के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
- यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।

—निरंतर—2

(2)

6. गैर शैक्षणिक स्टाफ को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी। बॉण्ड अवधि पूर्ण होने से पहले यदि आवेदक एक माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र देता है तो उसको एक वर्ष के वेतन/मानदेय राशि अनिवार्य रूप से जमा कराने के उपरांत ही त्यागपत्र स्वीकृत किया जावेगा।
7. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
8. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
9. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कं.एफ-7-2/96/आप्र/1 दिनांक 01.08.96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
13. चयनित प्रत्याशी M0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
14. नियुक्ति व्यक्ति को 100/- रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
16. नियुक्ति व्यक्ति को उपस्थित के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
19. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
20. चयनित उम्मीदवार को तीन माह में किसी भी प्रकार अवकाश की पात्रता नहीं होगी एवं आकस्मिक स्थिति के दौरान बिना पूर्व स्वीकृति एवं अनुमति के छुट्टी पर न जा सकेगा।

—निरंतर—3

(3)

21. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुऐ किसी अन्य संस्था मे रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही दे सकते है।
22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
23. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होंगे।
24. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमे प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
25. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ.क्रमांक 18456/66 /एम.सी/अराज/5/22

भोपाल, दिनांक 5/05/2022

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सभांगायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
7. प्रभारी अधिकारी, अराजपत्रित शाखा क्रमांक-5, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जांच उपरान्त ही अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया कराये तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
9. आदेश नस्ति /व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल